29/4/22 पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 6/6/22 को पेश हो।

6/6/22 पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 12/7/22 को पेश हो।

12/7/22 पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 29/8/22 को पेश हो।

29/08/22 पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण व वादीगण
के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण व वादीगण
के अधिवक्ता को कोर्ट समय से तीन बार
तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद
आवाजें दिलाने के वादीगण व वादीगण
के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त
उन्वान प्रकरण वादीगण की तरफ हाजरी
व अदम पैरवी से खारिज किया जाता है।
पत्रावली निर्णय सुनाए होकर शामिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO (गुड़ामा...)

श्रीमान सहायक कलक्टर एवं एस डी ओ महोदय
गुडामालानी जिला बाडमेर ।

वादीः–

1. लालसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह उम्र 32 वर्ष
2. हकसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह उम्र 29 वर्ष
3. ओमसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह उम्र 27 वर्ष
4. पॉचु कंवर पत्नी भवानीसिंह उम्र 52 वर्ष

जाति राजपुत साकिन राठोडो की ढाणी उर्फ मालियो की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कालुराम पुत्र श्री रणछाराम उम्र 25 वर्ष
2. सांवलाराम पुत्र श्री रणछाराम उम्र 38 वर्ष

जाति माली निवासी राठोडो की ढाणी उर्फ मालियो की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर ।

3. शाखा प्रबन्धक एस बी आई ए डी बी शाखा गुडामालानी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधिनियम 1955

महोदयजी ,

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:05 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद निम्न प्रकार है कि :–

1. कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कदीमी काश्त की खातेदारी भूमि तहसील गुडामालानी के पटवार मण्डल गुडामालानी के ग्राम राठोडो की ढाणी उर्फ मालियो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1388 रकबा 16–08 बीघा किस्म बा. दोयम का आया हुआ है । जिसमे वादीगण का कब्जा कास्त है तथा वादीगण की रहवासी ढाणिया , टाके पशुबाडे आदि मौके पर बने हुये है तथा वादीगण वर्तमान मे निवास करता है , नकल जंमाबंदी वर्तमान व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति साथ पेश है ।

2. कि उपरोक्त खेत जो वादपत्र के पद सख्या 1 मे अंकित है जिसके सेढा सेढ प्रतिवादीगणो की भूमिया आई हुई है । प्रतिवादीगण व हम वादीगणो के मध्य सेढो को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है । प्रतिवादीगण ने लठा ट्रेस मे उच्ची राजनीतिक पहुच तथा खुद ही प्रतिवादीगण पुंजि पति व धनबल वाले व हम वादीगण ज्यादा पढे लिखे तथा कानून मे जानकार नही होने से प्रतिवादीगण ने अपने मन मुजब कब्जा कर दिया है वर्तमान मे मौका के अनुसार कब्जा काश्त नही होने से प्रतिवादीगण हमेशा हम प्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु उतारू रहता है तथा हम प्रार्थीगण को हमारी कब्जे काश्त की हमारे हिस्से मे आई भूमि पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया है तथा लठा ट्रेस नाप अनुसार प्रतिवादीगण हम प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज विधि विरूद्व कब्जा जमाये बैठे है तथा हमारी भूमि पर हमारा ही हक व अधिकार होने के बावजुद भी प्रतिवादीगण खुर्द बुर्द करने पर उतारू होने से यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमानजी के समक्ष पेश है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:05 IST
Reason: SelfAttested

3. कि प्रतिवादीगण हम वा[illegible] काश्तकारो की जमीन पर कब्जा कर जमीन हडपने की कोशिश कर रहा है तथा हमारे कब्जे काश्त की भूमि को खुर्द बुर्द कर हम वादीगण को कब्जे से बेदखल करने पर आमदा है उक्त कार्य करने मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो भविष्य मे हम काश्तकारो को मौके से बेदखल कर सकता है इसलिऐ ... जाना पड़ा जिस हेतु यह स्थायी